पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर 492002

क्रमांक पुमु/राय/समनि (लेखा-कल्याण)/निस/ 3466 /2024, नवा रायपुर, दिनांक 02.07.2024

प्रति,

समस्त इकाई प्रमुख
छत्तीसगढ़ पुलिस

विषय :- शहीद पुलिस सेल के गठन एवं कार्यप्रणाली हेतु पूरक निर्देश।

संदर्भ :- पुलिस मुख्यालय का पत्र क्रमांक पुमु/राय/समनि (लेखा-कल्याण)/निस/एल-120/2011, दिनांक 08.08.2011 (छायाप्रति संलग्न)

--00--

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

(1) प्रत्येक रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में निम्नानुसार शहीद पुलिस सेल का गठन किया जाता है :-

1.	रेंज पुलिस महानिरीक्षक	:	अध्यक्ष
2.	रेंज मुख्यालय का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	:	सदस्य
3.	रेंज पुलिस महानिरीक्षक व्दारा नामांकित उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी	:	सदस्य
4.	रेंज पुलिस महानिरीक्षक व्दारा नामांकित रक्षित निरीक्षक	:	सदस्य

(2) इकाई स्तर, रेंज स्तर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित शहीद पुलिस सेल माह के व्दितीय बुधवार को प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजन भौतिक तथा वर्चुअल रूप से शहीद पुलिस सेल के समक्ष अपनी समस्याओं की चर्चा कर नियमानुसार निराकरण करवा सकेंगे। वर्चुअल बैठक हेतु दोपहर 12:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है। वर्चुअल बैठक हेतु प्रत्येक इकाई मुख्यालय में आवश्यक व्यवस्था की जायेगी, जिसमें शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजन उपस्थित हो सकेंगे।

(3) उपरोक्त समय-सारिणी के अतिरिक्त भी शहीद पुलिस सेल व्दारा शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की समस्याओं का अविलंब निराकरण करवाया जायेगा।

(4) बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखित बैठक का कार्यवाही विवरण दो दिवस के भीतर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजन सर्वप्रथम इकाई स्तर पर गठित शहीद पुलिस सेल के समक्ष अपनी समस्याओं का निराकरण करवायेंगे। इकाई स्तर पर निराकरण न होने की स्थिति में रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। यदि रेंज स्तरीय शहीद पुलिस सेल के स्तर पर प्रकरण का निराकरण न हो तो पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित शहीद पुलिस सेल व्दारा नियमानुसार निराकरण करवाया जायेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

02.07.24

(अशोक जुनेजा)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक पुमु/राय/समनि (लेखा-कल्याण)/निस/3466/2024, नवा रायपुर, दिनांक 02.07.2024

प्रतिलिपि :-

1- समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।

2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर।

3- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।

4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/ उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल।

5- समस्त रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।

6- निज सहायक पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।

02.07.24

(अशोक जुनेजा)
पुलिस महानिदेशक
छत्तीसगढ़